संख्या:44/2024/1057ई-2/तेरह-2024-399616

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

विषयः- मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि., अलीगढ़ आसवनी इकाई अधिष्ठापित क्षमता 630 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 535.50 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 567.00 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 63.00 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-82/दो-प्रा.डी.-101/वेब आसवनी, दिनांक 24-10-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 25-11-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या: 1027ई-2/तेरह-2024-399616, दिनांक 03-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24-10-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लिमिटेड (आसवनी इकाई) जनपद-अलीगढ़ को शासनादेश संख्या-10/2023/601 ई-2/तेरह-2023-399616, दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में निर्धारित समयावधि में प्लान्ट मशीनरी स्थापित कर लिये जाने के उपरान्त आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 630 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 535.50 लाख लीटर (85 प्रतिशत) वार्षिक को बढ़ाकर 567.00 लाख लीटर (90 प्रतिशत) वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 63 लाख लीटर (10 प्रतिशत) वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर अद्यतन कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(4) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 44/2024/1057(1)ई-2/तेरह-2024,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।